

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-181/2019

1. अभिषेक पुत्र इन्द्राज जाति बिश्नोई निवासी वार्डनं0 01, गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र सुरजाराम
  2. विजय कुमार पुत्र इन्द्राज
  3. इन्द्रबाला पत्नी इन्द्राज
- जाति बिश्नोई निवासीयान वार्डनं0 01, गुडिया तहसील  
टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री वकील वादी बनवारीलाल गौड़ मिन जामिन मुदई श्री रूपराम कासनियां प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चकनं0 5 एसबीएन के खाता सं0 39/39 में कुल 7.389 है0 नहरी मय गै0मु0 मेसे 2.681 है0 व इसी चक के खाता सं0 43/43 में कुल 6.515 है0 नहरी मय गै0मु0 मे से 3.257 है0 आराजी के वादी व प्रतिवादी सं0 2 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 5 एसबीएन के खाता सं0 39/39 व इसी चक के खाता सं0 43/43 में से प्रतिवादी सं0 1 इन्द्राज का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....

.....अदा करें।  
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....3-9-19.....को जारी  
किया गया।

( मीनू वर्मा )  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी